तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/000411

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 18 जनवरी, 2023

आप.अनु.या. 165/2022

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री पृथु गर्ग, राज्य के लिए अति.लो.अभि. सह उप.नि. सुरेश कुमार, थाना न्यू उस्मानपुर।

बनाम

राजू कुमार और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा :

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री पूनम ए बांबा

न्या., सुश्री मुक्ता गुप्ता, न्या. (मौखिक)

1. इस याचिका के माध्यम से, राज्य ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील करने की अनुमति मांगी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 302/174-ए/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया था।

2. अभियोजन पक्ष का मामला मृतक जॉनी के भाई / अभि.सा.-1 के बयान पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि वह जॉनी सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने नानाजी के घर में रह रहा था। वर्ष 2010 में उनका भाई रेडियो कवर की मरम्मत का काम कर रहा था। 14 अप्रैल, 2010 को रात लगभग साढ़े आठ बजे वह अपने भाई और पड़ोसी विजय चोपड़ा के साथ टहलने के लिए साढ़े तीन पुश्ता जा रहा था, तभी 'पी' (सीसीएल) स्कूटर पर सवार होकर आया और उसने उसके भाई जॉनी के दोनों पैरों के बीच स्कूटर घुसा दिया। इस पर जॉनी ने 'पी' से बोला "देख कर नहीं चल सकता"। इस पर पी. गुस्से में आ गया

और उसने उसके भाई को थप्पड़ मार दिया। हालांकि यह मामला शांत हो गया। इसके बाद 15 अप्रैल, 2010 को उसका भाई, विजय चोपड़ा और शेरू के साथ लाल अस्पताल के पीछे मस्जिद के पास मौजूद था। रात लगभग 8 बजे 'पी' उसके भाई से फिर मिला और उसके भाई और 'पी' के बीच कुछ कहासुनी हुई। और जब 'पी' उसके भाई को यह धमकी देकर जाने लगा कि "मैं तुझे देख लूंगा" तो उसके भाई ने 'पी' को 5-6 बार थप्पड़ मार दिया। 16 अप्रैल, 2010 को वह अपने भाई जॉनी, विजय चोपड़ा और शेरू के साथ लाल अस्पताल के सामने चौराहे पर खड़ा था। इसी दौरान 'पी' अपने 2-3 साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। 'पी' ने उसके भाई को पकड़ लिया और उसके बाद 'पी' और उसके साथियों ने उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गवाह विपिन कुमार ने आगे कहा है कि उसने तथा शेरू, विजय चोपड़ा और एक अन्य पड़ोसी सोनू ने जॉनी को बचाने की कोशिश की परन्तु 'पी' ने कहा की वह अपने अपमान का बदला लेगा | 'पी' ने अपने साथियों से उसके भाई की हत्या करने के लिए कहा।

इसके बाद 'पी' ने एक चाकू निकाला और जॉनी की छाती में चाकू घोंप दिया। 'पी' और उसके साथी घटनास्थल से भाग निकले |

3. अभि.सा.-1 की इस गवाही का अन्य तीन प्रत्यक्षदर्शियों में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया है जो कि पक्षद्रोही हो गए है और उसकी गवाही में इंगित तात्विक विरोधाभासों एवं सुधारों के प्रतिकूल बयान दिया है, यह ध्यातव्य हैं कि दो अपीलकर्ता जिन्हें सह अपराधी बताया गया हैं उन्हें सौंपी गई भूमिका यह थी कि वे 'पी' के साथ आये थे, 'पी' ने अ.सा.-1 के भाई को पकड़ लिया और 'पी' और अन्य उसे पीटने लगे और जमीन पर पटक दिया| यह पिटाई निश्चित रूप से लात-घूसों से की गई थी, क्योंकि इस चरण में अपराध के किसी भी हथियार को प्रयुक्त नहीं किया गया था और यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होता है। जब गवाह ने शेरू, विजय चोपड़ा और सोनू के साथ उसे बचाने की कोशिश की, तो फिर से 'पी' ने ही कहा कि वह अपने अपमान का बदला लेगा और अपने साथियों को उसके भाई की हत्या करने के लिए कहा। हालांकि, इसके बाद के किसी भी कृत्य के लिए

किसी भी साथी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और वह 'पी' ही था जिसने चाकू निकालकर उसे गवाह के भाई जॉनी के छाती में घोप दिया|

4. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, सीने के बाएं हिस्से में एक चाकू का घाव पाया गया है। घाव का मार्ग त्वचा, उपत्वचीय ऊतक, 5वीं पसली, 5 वीं इंटरकोस्टल स्पेस द्वारा होते हुए अंत में बाएं फेफड़े के निचले लोब को 8 सेमी की गहराई तक काटता है। दो अन्य चोटें मेंडिबल हिस्से पर दो नीले रंग के घाव थे जो गिरने के कारण भी हो सकते थे। 'पी' के किशोर होने के कारण उससे सम्बंधित जांच किशोर न्यायाधीश बोर्ड और विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष की गई, दो अभियुक्तों राजू कुमार और विनोद कुमार, जो इसमें प्रत्यर्थी हैं, उनके विरूद्ध मुकदमा चलाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया|

5. उपर उल्लिखित साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शारीरिक चोट पहुचाने अलावा किसी भी तरह के प्रबोधन या प्रबोधन के अनुसरण में कार्य

करने हेतु प्रत्यर्थीगण की किसी विशिष्ट भूमिका होने का आरोप नहीं लगाया गया हैं।इस प्रकार, अंतर्विरोधों और संशोधनों पर ध्यान नहीं देते हुए भी, अधिक से अधिक प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत उसकी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है| विचारण न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी राजू कुमार लगभग दो साल से हिरासत में है और यहां तक कि विनोद कुमार को भी गवाह द्वारा टीआईपी की कार्यवाही में उसकी पहचान नहीं कर पाने के बाद जमानत दे दी गई थी।

6. इसके अलावा, अन्य कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभि.सा.-2/शेरू ने कहा कि उसे घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभि.सा.-4/सोनू ने कहा कि 16 या 17 अप्रैल, 2010 को लगभग 8.30-9.00 बजे रात में जब वह किराना की दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रहा था, तो उसने कुछ लड़कों को जॉनी के साथ झगड़ा करते देखा। उसने झगड़े को शांत करने की कोशिश की। झगड़े में जॉनी घायल हो गया। उक्त लड़कों से जॉनी को

अलग करने के बाद, वह अपने घर चला गया। बाद में विपिन यानी ब.सा.-1/ मृतक जॉनी का भाई आया और उसे अस्पताल ले गया। उसने इस बात से इनकार किया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी है कि जॉनी को किसने चाकू मारा। यहां तक कि विजय चोपड़ा जो बा.सा.-9 के रूप में उपस्थित हुआ था और जॉनी के साथ सभी तीनों अवसरों पर उपस्थित था, यद्यपि उसने दिनांक 14 और 15 अप्रैल, 2010 को हुई घटना के संबंध में ब.सा.-1 की गवाही की पुष्टि की तथापि उसने दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की घटना के संबंध में कहा कि दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को रात 8 बजे से 9 बजे के बीच वह जॉनी, शेरू, सोनू और एक अन्य लड़के के साथ खड़ा था। 'पी' कुछ अन्य लोगों के साथ वहां आया| 'पी' के एक साथी ने जॉनी को थप्पड़ मारा। 'पी' ने जॉनी की ओर इशारा करते हुए अपने साथियों को बताया कि वह वही लड़का है जिसने उसे पीटा था, जिसके बाद "पी'' और उसके साथियों ने जॉनी को घेर लिया | इसी बीच उसकी माँ ने उसे किसी किराने की दुकान से फोन किया क्योंकि वह कुछ सामान खरीदने आई थी, और उसने

जॉनी के साथ क्या हुआ नहीं देखा। कुछ समय बाद जब वह वापस आया, तो उसने देखा कि जॉनी अपने घर की ओर भाग रहा था और मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा पड़ा था। इस प्रकार, यह गवाह भी मृतक के भाई, विपिन कुमार की गवाही का समर्थन नहीं करता है|

7. यह हो सकता है कि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभि.सा.-1 का साक्ष्य प्रत्यक्षतः लेते हुए, प्रत्यर्थीगण को भा.दं.सं. की खंड 302/304 के तहत किसी अपराध हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है| प्रत्यर्थीगण पर भा.दं.सं. की धारा 174 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी आरोप लगाया गया था और उन्हें आरोप से इस कारण से बरी कर दिया गया था कि इस संबंध में किसी भी गवाह की विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जांच नहीं की गई थी|

8. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने पुरज़ोर तरीके से यह प्रस्तुत किया हैं कि निरीक्षक अर्जुन सिंह, न्या.सा.-1 के रूप में विद्वान महानगरीय दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिन्होंने यह साबित

किया कि राजू कुमार और विनोद के विरुद्ध कार्यवाही धारा 82/83 के तहत अंजाम दी गई | विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष निरीक्षक अर्जुन सिंह का परीक्षण न्या.सा.-1 के रूप में की गई और भा.दं.सं. की धारा 174-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय होने के बाद, किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई तो प्रत्यर्थीगण को ब.सा.-1 के प्रतिपरीक्षा की अनुमति देना तो दूर की बात थी। अतः विद्वान महानगरीय दंडाधिकारी के समक्ष अभिलिखित निरीक्षक अर्जुन सिंह की गवाही पर प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 174-ए के तहत दंडनीय अपराध हेतु दोषी ठहराने के लिए नहीं विचार नहीं किया जा सकता हैं |

9. उपरोक्त चर्चा और आक्षेपित आदेश में कोई दोष न पाए जाने के दृष्टिगत हम राज्य को अपील करने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

10. याचिका खारिज की जाती है।

11. निर्णय की प्रति वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(मुक्ता गुप्ता)
न्यायाधीश

(पूनम ए. बांबा)
न्यायाधीश

18 जनवरी, 2023
'जीए'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*